

न्यायालय:-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-104/10
संस्थापित दिनांक-06.04.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
1- अशोक पुत्र धीरा ढीमर आयु 30 साल निवासी- मुराद चंदेरी जिला अशोकनगरआरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री आर.एस.यादव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 03.01.2017 को घोषित)

01- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 28.02.2010 को 8 बजे ग्राम मुरादपुर में फरियादी रामरतन को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

02- अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी रामरतन ने थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की कि घटना दिनांक को शाम करीब 8 बजे वह अपने चाचा के लडके रामदास की दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी अशोक दुकान से उधार पकोड़ी ले गया था, जब उसने अशोक से कहा कि उधार के पैसे दे दो, तो आरोपी बोला कि तुझे क्या मतलब, तूने पैसे क्यों मांगे, इसी बात पर आरोपी गाली देने लगा, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने एक डण्डा जो बाये पैर की जांघ पर लगी मुंदी चोट आई, उसने डण्डा पकड़ लिया तो अशोक ने उसे बाये हाथ के वाजू में व दडा में काट खाया जिससे उसके खून छलक आया और अशोक ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया जिससे उसे सिर में बांयी तरफ तथा दांये हाथ की कोहनी पर चोट आयी थी घटना ओमकार व भगवान सिंह ने देखी है, जिन्होंने उसे बचाया था। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्त को आरोपित धारा के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.02.2010 को 8 बजे ग्राम मुरादपुर में फरियादी रामरतन को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

05— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी रामरतन अ0सा02 ने कहा कि वह हाजिर अदालत आरोपी अशोक को जानता है। घटना को उसके न्यायालयीन कथन से करीब 5-6 वर्ष पूर्व की होकर शाम की है। घटना के समय वह रामदास की दुकान पर बैठा था जो उसका भाई है। घटना दिनांक को अशोक दुकान से उससे उधार पकोड़े ले गया था। उसने आरोपी अशोक से उधार के पैसे देने को कहा तो आरोपी अशोक बोला कि तुझे क्या मतलब तू क्यों पैसे मांग रहा है, इसी बात को लेकर उसकी अशोक से गाली गलौच हो गई थी और गाली गलौच में धक्का मुक्की में गिलास के उपर गिर जाने से उसे चोट आ गई थी इसके अलावा आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। रामरतन अ0सा02 ने बताया कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। उसने घटना के संबंध में थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल परीक्षण कराया था। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे जो प्र.पी. 4 है।

06— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि अशोक ने उसे डण्डा मारा जो उसके बाएं पैर की जांघ में लगा। इस बात से भी इंकार किया कि उसने डण्डा पकड़ लिया था अशोक ने उसके बाएं हाथ के बाजू व दंडा में काट खाया। इस बात से भी इंकार किया कि उसका खून झलक आया और अशोक ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इस बात से इंकार किया कि उसके सिर में बांयी तरफ तथा दाये हाथ की कोहनी पर चोटे आई थी। इस बात से इंकार किया कि ओमकार, भगवान सिंह ने उसे बचाया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 2 व पुलिस कथन प्र.पी. 4 का ए से ए भाग "तात्विक भाग" पढकर सुनाये जाने पर साक्षी का कहना उक्त कथन उसने नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकता।

07— डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ0सा01 ने उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह दिनांक

28.02.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे, और उक्त दिनांक को आहत राम रतन का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें एक छिला हुआ निशान जो बांये हाथ की उपरी भूजा के मध्य में सामने की ओर स्थित था जिसका आकार 4 गुणा 3.5 सेमी था। चोट क्र० 2 छिला हुआ निशान जो बांये कंधे पर था और जिसका आकार 3 गुणा 1 सेमी था एवं चोट क्र० 3 नीलगू निशान जो बांये अग्रभुजा पर पीछे से अन्दर की ओर से था जिसका आकार 2 गुणा 2 सेमी था। चोट क्र० 4 छिला हुआ निशान जो दाहिनी कोहनी पर पीछे की ओर था जिसका आकार 2 गुणा 2 सेमी था। चोट क्र० 5 नीलगू निशान जो बांये कनपटी पर था जिसका आकार 3 गुणा 2 सेमी था एवं चोट क्र० 6 नीलगू निशान जो बांये जांघ के मध्य में बाहर की तरफ स्थित था जिसका आकार 8 गुणा 2 सेमी था। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि चोट क्र० 1 आहत द्वारा नशे की हालत में अपने मुंह के दांतों द्वारा काटकर पहुँचाई जा सकती है।

08— फरियादी/आहत रामरतन अ०सा०2 द्वारा उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 2 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 4 में आरोपी अशोक द्वारा उधार के पैसे मांगने को लेकर गाली गलौच हो गई थी और धक्का मुक्की में गिलास के उपर गिर जाने से चोट आना व्यक्त किया तथा अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इन्कार किया कि आरोपी अशोक ने उसके बांये हाथ के बाजू और दडा में काट खाया था। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०1, ने फरियादी/आहत रामरतन को चोटे आना तो व्यक्त किया परन्तु स्वयं फरियादी रामरतन द्वारा उक्त चोटे धक्का मुक्की में गिरने से आना एवं आरोपी द्वारा न पहुँचाया जाना व्यक्त किया है।

09— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.02.2010 को 8 बजे ग्राम मुरादपुर में फरियादी रामरतन को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त **अशोक पुत्र धीरा** को भा.द.वि. की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

10— अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म०प्र०